आयोजनागत
संख्या–1021/XXIV(8)/2005

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,
उप सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्राविधिक शिक्षा उत्तरांचल,
श्रीनगर गढ़वाल।

शिक्षा अनुभाग–8 (तकनीकी) देहरादूनः दिनांक 04 फरवरी,,2006

विषयः– राजकीय महिला पालीटेक्निक अल्मोड़ा के आई.टी. एवं कम्प्यूटर सांइस के भवन निर्माण हेतु अवशेष धनराशि स्वीकृत करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2404/नि0प्रा0शि0/ प्लान–छै–01/2005–06 दिनांक 26.10..2005 तथा शासनादेश संख्या–361/प्रा0शि0/2003 दिनांक 15.12.2003, शासनादेश संख्या– 498/प्रा.शि./2004 दिनांक 3.11.2004 एवं शासनादेश संख्या–520/XXIV(8)/2005 दिनांक 8.7.2005 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय राजकीय महिला पालीटेक्निक अल्मोड़ा के आई.टी. एवं कम्प्यूटर सांइस के भवन निर्माण हेतु स्वीकृत आंगणन रू0 63.54 लाख के सापेक्ष अभी तक स्वीकृत धनराशि रू0 62.55 लाख को समायोजित करते हुए इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में शासनादेश संख्या–416/XXIV(8)/2005–56/2004 दिनांक 20.5.2005 द्वारा राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के भवन निर्माण हेतु आपके निर्वतन पर रखी गयी धनराशि रू0 410.00 लाख में से रु0 0.99 लाख (रुपये निन्यानब्बे हजार मात्र) की धनराशि की सहर्ष स्वीकृति इस वित्तीय वर्ष 2005–06 में प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/ अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन /मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व समस्त स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग लाया जाए।

10– यदि स्वीकृत धनराशि में स्थल विकास कार्य सम्भव न हो, तो कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आंगणन मानचित्र गठित कर शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, स्वीकृति राशि से अधिक कदापि न किया जाय।

11– इस संबंध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2005–06 के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक– 4202– शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय– 02– तकनीकी शिक्षा– 104– बहुशिल्प – आयोजनागत– 03 – राजकीय बहुधन्धी संस्थाओं के (पुरूष/महिला) भवन का निर्माण / सुदृढीकरण – 24– वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

12– यह आदेश वित्त विभाग की अशासकीय संख्या–106/वित्त अनुभाग–3/ 2006 दिनांक 3.2.2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(राजेन्द्र सिंह)
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
2. कोषाधिकारी, पौडी।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तरांचल, देहरादून।
4. वित्त अनुभाग–3/ नियोजन अनुभाग।
5. राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
7. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, अल्मोड़ा।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार शर्मा)